संख्याः 1985/VII-II-09/191–उद्योग/2007

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय,
नई दिल्ली।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः31 अगस्त, 2009**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली के अवचनबद्ध मदों की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त, विभाग के शासनादेश संख्याः 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई 2009 एवं शासनादेश संख्याः 991/VII-II-09/191–उद्योग/2007 दिनांक 18 जून, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में 25–मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली के अवचनबद्ध मदों की समस्त धनराशि **(01 अप्रैल 2009 से 31 जुलाई 2009 तक लेखानुदानान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए)** निम्न विवरणानुसार **कुल रू0 3.40 लाख (तीन लाख चालीस हजार मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

कोड/मद का नाम	**आवंटित बजट (रू0 हजार में)**
04–यात्रा व्यय	60
07–मानदेय	5
08–कार्यालय व्यय	50
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	15
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50
22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	40
42–अन्य व्यय	25
44–प्रशिक्षण व्यय	25
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	20
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सबन्धी स्टेशनरी का क्रय	30
कुल योगः	**340**
	(रू0 तीन लाख चालीस हजार मात्र)

2– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा तथा प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। यदि नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत करा दिया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3— उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अवचनबद्ध मदों में धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय, तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4— यदि किसी मद में बजट प्राविधान लेखानुदान की धनराशि से कम हुआ हो तो धनराशि का व्यय वार्षिक आय–व्ययक के अनुसार ही किया जायेगा। यदि किसी मद में लेखानुदान से अधिक बजट प्राविधान आवंटित होने के बाद उसका व्यय कर दिया गया है, लेकिन पूरे वर्ष हेतु व्यवथित धनराशि कम है तब उसका विनियमन अथवा पुनर्विनियोग के द्वारा कर दिया जायेगा और यदि व्यय नहीं किया गया है तो अब व्यय उक्तवत् बजट आवंटन की सीमा में ही किया जायेगा।

5— व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2010 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

7— फर्नीचर/उपकरण का क्रय करते समय यथा आवश्यक उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के प्राविधानों तथा इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

8— कम्प्यूटर आदि का क्रय एन0आई0सी0/आई0टी0 विभाग की संस्तुति से अथवा उनके दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

9— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनेत्तर, 102–लघु उद्योग, 25–मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान (102 03 से स्थानान्तरित) मद अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:347/XXVII(2)/2009 दिनांक: 26 अगस्त, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1985/VII-II-09/191–उद्योग/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।